वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 09.04.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर", अमर उजाला,हिंदुस्तान,दैनिक मान्यवर,आईनेक्स्ट,न्यायाधीश,," समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला –दि0 09.04.2025

एक वर्ष में 2544 आवास निर्माण की दी मंजूरी

वाराणसी। वीडीए ने एक वर्ष में सबसे अधिक 19 परियोजनाओं के 2544 आवासों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान दी है। इससे आवास से जुड़ीं समस्याओं का समाधान होगा। बीते छह साल में सबसे अधिक परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई है। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में समूह एवं किफायती आवास योजनाओं को सबसे अधिक स्वीकृति मिली। इस साल 19 परियोजनाओं के मानचित्र स्वीकृत कर 2544 आवासीय इकाइयों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया गया। ब्यूरो

अमर उजाला –दि0 09.04.2025

छह बीघे की अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराई

वाराणसी। वीडीए की ओर से मंगलवार को छह बीघे की अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराई। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के अनुसार दशाश्वमेध वार्ड में रामनाथ की ओर से बगैर ले आउट स्वीकृत कराए छह बीघे में प्लॉटिंग की जा रही थी। उधर, मेंहदीगंज में बगैर नक्शा पास कराए अशोक कुमार गुप्ता की ओर से निर्माण किया जा रहा था। ब्यूरो

हिन्दुस्तान –दि0 09.04.2025

सालभर में 19 आवासीय प्रोजेक्ट को दी गई स्वीकृति

वाराणसी। वरिष्ठ संवाददाता। वीडीए प्रशासन ने पिछले वित्तीय वर्ष में 19 ग्रुप हाउसिंग और सस्ते आवास के प्रोजेक्टों के मानचित्र स्वीकृत किए हैं। इससे 2544 फ्लैटों का निर्माण हो सकेगा। हरहुआ में 11 मंजिल के प्रोजेक्ट में 142, दांदूपुर में 396, दासेपुर में 464 फ्लैटों की स्वीकृति मिली है।

इसी तरह कटेसर में 18 मंजिल के प्रोजेक्ट में 107, हरिशंकरपुर में 17 मंजिल प्रोजेक्ट में 102 फ्लैटों को स्वीकृति मिली है। गणेशपुर में 37, गोविंदपुर, परमानंदपुर, बलिरामपुर, राजातालाब में धनपालपुर, तकताकपुर, चंदौली के गोधना, परमानंदपुर एवं केशरीपुर में 128 सस्ते आवास, डाफी में सुसुवाही, भुल्लनपुर, सेहमलपुर में प्रोजेक्ट

- प्रदेश सरकार की सभी को आवास नीति के तहत किये जा रहे कार्य
- वाराणसी में सुनियोजित शहरीकरण को बढ़ावा मिलने का भरोसा

स्वीकृत हुए हैं। वहीं वर्ष 2019-20 में दो, 2020-21 में तीन, 2021-22 में चार, 2022-23 में दो, 2023-24 में छह प्रोजेक्ट स्वीकृत हुए थे। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने कहा कि अब तक एक वित्तीय वर्ष में सर्वाधिक प्रोजेक्ट को स्वीकृति मिली है। इससे सुनियोजित शहरीकरण को बढ़ेगा। राज्य सरकार की सभी को आवास की नीति के तहत कार्य हुआ है।

दैनिक मान्यवर –दि0 09.04.2025

अवैध प्लाट पर बुलडोजर, दो मकान सील

वाराणसी।वाराणसी विकास प्राधिकरण ने सोमवार को बड़ागांव में अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर चलाया और रामनगर में एक निर्माणधीन मकान और अर्धनिर्मित भवन को सील कर दिया है।वीडीए के जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्र के नेतृत्व में प्रवर्तन दल की टीम बड़ागांव के बैजल पट्टी पहुंची। वहां बिना लेआउट पास कराए 04 बीघे में प्लाटिंग चल रही थी। कालोनाइजर के बारे में पता लगाया लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। वीडीए ने बुलडोजर की मदद से प्लाट को ध्वस्त कर दिया।

आईनेक्स्ट–दि0 09.04.2025

बीते 2 वर्षों में वीडीए से नक्शा पास होने में 225 परसेंट का हुआ इजाफा

6 इनीशिएटिव ने बिछाई सहूलियत की रेड कारपेट

UPDATE

varanasi@inext.co.in

VARANASI (8April): पिछले तीन सालों में वीडीए में जबरदस्त चेंजेज देखने को मिले. जिस पोर्टल को वीडीए ने लगभग 1 साल पहले लांच किया था, उस पोर्टल को और फाइन करके आम पब्लिक को पहले के मुकाबले और ज्यादा सुविधा देने का काम किया है. इनमें एक दो नहीं बल्कि 6 प्रकार की फैसिलिटी की शुरुआत से नक्शा दाखिल करने में सहूलियत होगी. वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग का कहना है कि वीडीए का रेवेन्यू ग्राफ लगातार बढ़ रहा है. वित्तीय वर्ष 2024-25 में 134.75 प्रतिशत राजस्व प्राप्ति हुई.

1 मानचित्र सुविधा सेल का गठन

पहले नक्शा पास कराने के लिए लोगों को विभाग के चक्कर लगाने पड़ते थे, जिससे नक्शों की प्रक्रिया मे देरी हो रही थी. इस समस्या को हल करने के लिए वीडीए ने मानचित्र सुविधा सेल बनाई है, जिससे अब तक 20 हजार से अधिक मामलों को सुलझाया जा चुका है.

2 नक्शा पास करने वालों का सम्मान

वीडीए ने आम पब्लिक का सबसे अधिक नक्शा पास करने वाले अधिकारियों को हर महीने सम्मान किया जा रहा है. बिना रुकावट के आम पब्लिक की समस्याओं को प्रमुखता से निस्तारण कर रहा है उसे महीने के अंत मे प्रशस्ति पत्र सम्मानित किया जा रहा है.

3 जियोट्रिक्स सिस्टम से फीडबैक

वीडीए ने आम पब्लिक की सहूलियत के लिए जियोट्रिक्स साफ्टवेयर का यूज किया है. इसमे कोई भी पब्लिक अवैध निर्माण की सूचना देने पर साफ्टवेयर के जरिए ट्रेस कर उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.

4 लैंड यूज पोर्टल

अब लोग वीडीएवीएनएस डॉट कॉम/लैंड यूज पोर्टल पर जाकर अपने प्लॉट का भू-उपयोग घर बैठे देख सकते है. हर दिन हजारों लोग इस सुविधा का इस्तेमाल कर रहे है. इसके शुरू होने से अब उन्हें अपनी जमीन की जानकारी लेने में कोई परेशानी नही होगी.

5 ई आफिस सिस्टम

वीडीए ई आफिस सिस्टम के जरिए आम पब्लिक के साथ ही गवर्नमेंट कामकाज को डिजिटल और पारदर्शी किया जा रहा है. अधिकारियों और कर्मचारियों को कही से भी दस्तावेजों तक पहुंचने की सुविधा है. इससे समय और संसाधनो की बचत हो रही है.

6 ओबी पास पर वर्कशाप

ऑबीपास सिस्टम के तहत वर्कशॉप का आयोजन कर अफसरो के साथ आम पब्लिक को भी नक्शे के बारे मे जानकारी दी जा रही है. यही नही इस सिस्टम के तहत समस्याओं का समाधान भी किया जा रहा है.

राजस्व प्राप्ति में आगे

प्राधिकरण ने वर्ष 2024-25 के लिए निर्धारित 27,537.59 लाख रुपये के लक्ष्य के विरुद्ध 37,106.23 लाख रुपये की प्राप्ति की, जो कि 134.75 प्रतिशत है. यह इजाफा न केवल लक्ष्य से अधिक है, बल्कि गत वर्ष की तुलना मे भी 34.64 परसेंट अधिक है.

प्रमुख स्वीकृत मानचित्र

14 होटल परियोजनाएं	19 ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स	3 ले-आउट प्रस्ताव

मानचित्र स्वीकृति में वृद्धि

वित्तीय वर्ष	स्वीकृत मैप
2022-23	328
2023-24	564
2024-25	739

"वीडीए सुविधाओं के लिए अपने आप को अपडेट कर रहा है. नक्शा सबसे अधिक पास किया है. समस्याओं का निस्तारण भी किया गया है.

पुलकित गर्ग, वीसी, वीडीए

"15 दिन में मेरा नक्शा पास हुआ है. नक्शा आवेदन के लिए वीडीए का पोर्टल को यूज किया था. पोर्टल को काफी अपडेट किया गया है.

संजय सिंह, टकटकपुर

"मकान बनवाने के लिए अब नक्शा पास कराने के लिए परेशान नहीं होना पड़ रहा है. नक्शे में थोड़ी बहुत त्रुटि आयी थी जिसे विभाग ने सही कर दिया.

अजय कुमार, पड़ाव

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

न्यायाधीश –दि0 09.04.2025

वित्तीय वर्ष 2024-25 में समूह एवं किफायती आवास योजनाओं को मिली ऐतिहासिक स्वीकृति,

वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में समूह एवं किफायती आवास योजनाओं को अभूतपूर्व स्तर पर स्वीकृति प्रदान की गई है। इस वर्ष अब तक कुल 19 परियोजनाओं को मानीचित्र स्वीकृतियाँ दी गई है, जिनके अंतर्गत कुल 2544 आवासीय इकाइयों के निर्माण की अनुमति दी गई है।यह आंकड़ा अब तक के किसी भी वित्तीय वर्ष में स्वीकृत योजनाओं की तुलना में सबसे अधिक है और वाराणसी महानगर क्षेत्र में सुनियोजित शहरीकरण की दिशा में एक उल्लेखनीय उपलब्धि को दर्शाता है।वर्षवार मानीचित्र स्वीकृति विवरण वित्तीय वर्ष स्वीकृत मानीचित्र 2019-20 2 2020-21 3 2021-22 4 2022-23 2 2023-24 6 ङ2024-25 19 प्राधिकरण द्वारा 2024-25 में जिन 19 योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है, उनका विवरण निमननुसार हैः.मौजा-रहुआ, तहसील-पिंडरा, जनपद-वाराणसी आवास इकाइयाँ: 142.मौजा-कतेसर, परगना-रहलूपुर, तहसील-मुगलसराय, जनपद-चंदौली संरचनाः 18 आवास इकाइयाँ: 107 .मौजा-हरिशंकरपुर, तहसील-पं. दीन दयाल उपाध्याय नगर, जनपद-चंदौली आवास इकाइयाँ: 102.मौजा-गणेशपुर,शिवपुर, जनपद-वाराणसी संरचनाः छ9 आवास इकाइयाँ: 37.मौजा-गोविंदपुर एवं परमानंदपुर, तहसील-राजातालाब, जनपद-वाराणसी आवास इकाइयाँ: 111.मौजा-बलिरामपुर, तहसील-राजातालाब, जनपद-वाराणसी संरचनाः छ12 आवास इकाइयाँ: 96 ङ7.मौजा-धनपालपुर, तहसील-राजातालाब, जनपद-वाराणसी संरचनाः ँ१छ10 आवास इकाइयाँ: 77 8.मौजा-तकताकपुर, वार्ड-सिकरौल, तहसील-शिवपुर, जनपद-वाराणसी संरचनाः छ7 आवास इकाइयाँ: 41 9.मौजा-गोधना, तहसील-पं. दीन दयाल उपाध्याय नगर, जनपद-चंदौली संरचनाः आवास इकाइयाँ: 260 ङ10.मौजा-दरेखू, तहसील-राजातालाब, जनपद-वाराणसी संरचनाः ँ्छ्ङ10 आवास इकाइयाँ: 35. मौजा-हरहुआ, तहसील-पिंडरा, जनपद-वाराणसी आवास इकाइयाँ: 66.मौजा-दांदूपुर, तहसील-शिवपुर, जनपद-वाराणसी संरचनाः 19 आवास इकाइयाँ: 39613.मौजा-परमानंदपुर एवं केशरीपुर, तहसील-सदर, जनपद-वाराणसी योजना प्रकारः किफायती आवास संरचनाः आवास इकाइयाँ: 128.मौजा-डाफी, तहसील-सदर, जनपद-वाराणसी योजना प्रकारः किफायती आवास संरचनाः आवास इकाइयाँ: 82 मौजा-सुसुवाही, तहसील-सदर, जनपद-वाराणसी योजना प्रकारः किफायती आवास संरचना आवास इकाइयाँ: 85 मौजा-दांदूपुर, तहसील-शिवपुर, जनपद-वाराणसी योजना प्रकारः किफायती आवास संरचनाः आवास इकाइयाँ: 67.मौजा-भुल्लनपुर, जनपद-वाराणसी संरचनाः आवास इकाइयाँ: 56ङ18.मौजा-सेहमलपुर,तहसील-पिंडरा, जनपद-वाराणसीङ योजना प्रकारः किफायती आवास संरचनाः छ4आवास इकाइयाँ: 192.मौजा-दासेपुर, तहसील-सदर, जनपद-वाराणसी योजना प्रकारः किफायती आवास संरचनाः आवास इकाइयाँ: 464 इस पहल से न केवल शहरीकरण को नई दिशा मिलेगी, बल्कि आम जनता को बेहतर एवं सुलभ आवास की सुविधा भी उपलब्ध होगी। आवासीय क्षेत्र में यह प्रगति सरकार की 'सभी को आवास' नीति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

न्यायाधीश –दि0 09.04.2025

वीडीए जोन-3 ने की सीलबन्दी की कार्यवाही

वाराणसी।उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी जोन-3,वार्ड- दशाश्वमेध की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरूद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी।वार्ड-दशाश्वमेध के अन्तर्गत अशोक कुमार गुप्ता द्वारा मौजा- मेंहदीगंज जिला-वाराणसी में लगभग 1700 वर्गफीट में भूतल पर किए गए अनाधिकृत रूप से निर्माण कराये जाने पर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत पक्ष द्वारा लगातार कार्य किये जाने पर आज दिनांक 08-04-2025 को भवन को सील कर दिया गया।मौके पर जोनल अधिकारी सौरभ देव प्रजापति, अवर अभियंता रविन्द्र प्रकाश उपस्थित रहे।

न्यायाधीश –दि0 09.04.2025

वीडीए जोन-3 द्वारा की गई अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही

वाराणसी।उपाध्यक्ष वाविप्रा के प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी जोन-3 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी।वार्ड-दशाश्वमेध, रामनाथ द्वारा पक्ष द्वारा बिना ले-आउट स्वीकृत कराये लगभग (06. बीघे) जमीन पर अवैध रूप से प्लाटिंग किये जाने पर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के अन्तगर्त धारा-27 एवं 28 को उक्त अवैध प्लाटिंग को आज 08.04.2025 को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से अवैध प्लाटिंग ध्वस्त किया गया।मौके पर जोनल अधिकारी सौरभ देव प्रजापति,अवर अभियंता रविन्द्र प्रकाश व प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।